उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 1071/गोपनीय/2018 जबलपुर, दिनांक 30 अगस्त, 2018
दो–2–1/2018

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:–

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**श्री अरूण प्रताप सिंह**	कोतमा	चंदेरी	अशोकनगर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में।
2.	**श्री संजीव जैन**	करैरा	भीकनगांव	मण्डलेश्वर	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अतुल सक्सेना के स्थान पर।
3.	**श्री अतुल सक्सेना**	भीकनगांव	करैरा	शिवपुरी	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री संजीव जैन के स्थान पर।
4.	**श्री अशोक कुमार सोंधिया**	मण्डला	कोतमा	अनूपपुर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अरूण प्रताप सिंह के स्थान पर।

टिप्पणी :– रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

30.08.18
(प्रकाश चन्द्र गुप्ता)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार
(सतर्कता)

पृष्ठांकन क्रमांक 1072/गोपनीय /2018 जबलपुर, दिनांक 30 अगस्त, 2018
दो–2–1/2018 (भाग–ए)

प्रतिलिपिः–

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल–6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

2 प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल–462004 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

3 महालेखाकार,(लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर– 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

4 महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

5 (1) **श्री अरूण प्रताप सिंह,** प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **कोतमा** जिला **अनूपपुर,**

(2) **श्री संजीव जैन,** द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **करैरा** जिला **शिवपुरी,**

(3) **श्री अतुल सक्सेना,** अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **भीकनगांव** जिला **मण्डलेश्वर,**

(4) **श्री अशोक कुमार सोंधिया,** चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **मण्डला,**

को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपें की पदस्थापना के नये स्थान पर **दिनांक 10–09–2018 अथवा उसके पूर्व** अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को तत्काल प्रेषित करें।

6 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **अनूपपुर/ शिवपुरी/ मण्डलेश्वर/ मण्डला** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनके वर्तमान पद का कार्यभार इस प्रकार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर **दिनांक 10–09–2018 अथवा उसके पूर्व** अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।

7 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **अशोकनगर/ शिवपुरी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

8 रजिस्ट्रार (आई0टी0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई–मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :–

(1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, **जबलपुर**/ जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0–1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, **इन्दौर** – 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, **ग्वालियर** (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।

(2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।

(3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित ।

(4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

(5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

(6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (आई0एल)/ (न्यायिक–1)/ (न्यायिक–2)/ (सतर्कता)/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

(7) संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

9 रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक–1)/ (न्यायिक–2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

10 रजिस्ट्रार–कम–माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।

11 माननीय न्यायाधिपति श्री ______________________ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।

12 माननीय न्यायाधिपति श्री ______________________ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।

13 माननीय न्यायाधिपति श्री ______________________ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।

14 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

15 अनुभाग अधिकारी, पेन्शन /बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

30.08.18

(प्रकाश चन्द्र गुप्ता)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार
(सतर्कता)